

पत्रावली का कार्ड उपस्थित नहीं। अतः एक
वास्ते बरतल दिनांक 07.02.22 को पेश हो

07.02.22

कोविड-19 के कारण
आज पत्रावली पेश हुई। वकीलो ने कार्य स्थगित
कर रखा है। पत्रावली वास्ते... पुनर्दिनांक
दि 24.2.22 को पेश हैं।

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

24.02.22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी आशुतोष
वकील जार्जी की शकपक्षीय बरतल सुनी गयी।
पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 04.03.2022 को
पेश हो।

उप खंड अधिकारी
महवा (दौसा)

04.03.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपस्थित आये।
वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 07.03.2022 को
पेश हो।

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

7.3.22

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपस्थित
संश्लेष में तब यह प्रकार है कि ग्राम
वकील बरतल भूखण्ड लिपत करारजी खसरा
नम्बर 146/5, 161/2, 186/5, 240/5, 241/5
242/5, 279/5, 48/5, 49/5, 50/5, 52/5, 53/5
कुल किल 12 कुल रकम 1.46 हेक्टर भूमि
कुल व क्षेत्रफल व लगायत 3 की संयुक्त
गरी व कालकाल की भूमि है।

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

उक्त ग्राम का सायल व गैर सायलान के
बादगी कंटवारा कर रखा है तथा बादगी
कंटवारे के फलस्वरूप कविज काशत है। राजस्व
रिकार्ड में विभाजन नहीं होने प्रार्थी विभाजन
करवाना चाहता है तथा विभाजन होने तक
बाद के निस्तारण तक गैर सायलान को
जमीने अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने
हेतु निवेदन किया है। गैर सायलान के
विरुद्ध पूर्व में ही एक पक्षीय कार्यवाही की जा
चुकी है। इसलिए सायल के वकील की एक
पक्षीय बयान बुनी गई। वकील सायल द्वारा
बाद के निस्तारण गैर सायलान जो अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु निवेदन
किया। अतः गैर सायलान 01/09/2013 को
बाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बलीन
स्थित विवादित उपरोक्त अस्थाई काशत में
सायल के हिस्से तक कब्जे काशत में
किसी प्रकार की मजदूर मदाखलत कदा
नहीं करे। पत्रावली पेशना सुचारु होकर
गम्बर हो कर हो शामिल मूल नोट रहे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा